भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2748
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना

2748. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कंधमाल, बौध और नयागढ़ (केबीके+) जिलों को 2024-25 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रैल 2024 से पीएम-किसान योजना के अंतर्गत जनजातीय और सीमांत किसानों को वितरित की गई कुल सहायता क्या है; और

(घ) ओडिशा के केबीके+ और आकांक्षी जिलों में बाजरा प्रसंस्करण और खरीद अवसंरचना स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) केबीके+ जिलों को वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की एक व्यापक योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसे वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक राज्य के 15 जिलों में 24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। बीपीकेपी का उद्देश्य पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा देना है जो किसानों को बायोमास मल्चिंग, गोबर-मूत्र निर्माण और पादप-आधारित सामग्री जैसे कृषि आदानों का उपयोग करने और सभी सिंथेटिक आदानों से बचने में सहायता करती हैं।

केबीके+ जिलों में अब तक कवर किया गया क्षेत्र निम्नानुसार है:

	केबीके+ जिलों का नाम	**कार्यान्वयन क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
1	कालाहांडी	2000
2	नुआपाड़ा	2000
3	बलांगीर	1000

4	कोरापुट	1000
5	मल्कानगिरी	2000
6	नबरंगपुर	1000
7	रायगढ़	2000
8	कंधमाल	2000
	कुल	**13000**

(ख) वर्ष 2023-24 से जारी किए गए साइल हेल्थ कार्ड की ज़िलेवार सूचना साइल हेल्थ कार्ड पोर्टल (soilhealth.dac.gov.in) पर उपलब्ध है। अब तक, केबीके+ ज़िलों में 1,44,211 साइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

(ग) पीएम-किसान योजना के तहत, लाभार्थियों की पहचान करने और उनके सही और सत्यापित डेटा को पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इसके बाद सत्यापित डेटा को आधार/पीएफएमएस/आयकर डेटाबेस आदि सहित सत्यापन के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद किसानों को डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में लाभ जारी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम-किसान योजना के तहत सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को वितरित की गई कुल राशि 6,377.41 करोड़ रुपये है, जिसमें से 3392 करोड़ रुपये ओडिशा के आदिवासी किसानों के लिए थे।

(घ) मिलेट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग दिया जाता है। ज़िलेवार सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण हेतु विकेंद्रीकृत खरीद पद्धति से मोटे अनाज और 6 माइनर मिलेट की खरीद करता है। भारत सरकार ने ओडिशा में उपलब्ध 40,000 मीट्रिक टन अधिशेष रागी का अधिग्रहण कर लिया है।

******